

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अधीनस्थ अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा

आई०ए०एस०

अपील सं० 117/2017



अधीनस्थ पुत्र रामस्वरूप जाति हरि० ब्राह्मण निवासी ग्राम जौण तहसील नांगल
राजावतान जिला दौसा ...अपी०

बनाम

अधीनस्थ सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.09.2017

व न्यायालय तहसीलदार, नांगल राजावतान

अधीनस्थ : 1.श्री राजकुमार तिवाड़ी अधिवक्ता अपीलांत
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.01.18

अधीनस्थ विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान ने दिनांक 13.09.2017 को ग्राम जौण तहसील नांगल राजावतान के आ०ख० न० 316 रकबा 0. 36 हे० किस्म चारागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस करते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त चरागाह भूमि के पास आबादी मुनि स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांत को नोटिस जारी दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पटवारी भूमि की रिपोर्ट द्वारा 04

जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के अतिक्रमण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई

ज्या पत्र की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर प्रतिक्रिया किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच के तहत हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पत्रावली में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल न्यायालय पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "पुख्ता निर्माण, पाटोल, कबजा कर' अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में कबजा पुराना होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि का अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही अपीलांट द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी चरागाह एवं सिवायचक भूमि कबजा नहीं होना एवं सिवायचक/चरागाह भूमि से कबजा हटा लेने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का अभाव अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की धारा पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 16 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा